

**मानक आकार पत्र
आकार पत्र-1**

आदेश

शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-03.06.2016 तथा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-13/तेईस-1(1)-351(2017-18), दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं नेहा शर्मा, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी/कलेक्टर, फिरोजाबाद संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक-03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिरोजाबाद	दूण्डला	दूण्डला	उसायनी	2मि/2	2.000	5-1 कृषि योग्य भूमि-नई परती	उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के निवर्तन में प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु।

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
फिरोजाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी /कलेक्टर फिरोजाबाद।

- संख्या **2003**/भूमि व्यवस्था-पुर्नग्रहण दिनांक अक्टूबर **09**, 2018.
प्रतिलिपि :- उपरोक्त आदेश निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
01. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
 02. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवम् शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ।
 03. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-5, लखनऊ।
 04. आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा को उनके पत्र संख्या-13/तेईस-1(1)-351(2017-18), दिनांक 01.10.2018 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 05. सचिव, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद को उनके पत्र संख्या-299/वि0प्रा0/18-19, दिनांक 04.09.2018 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 06. उप जिलाधिकारी, दूण्डला को इस आशय से कि अभिलेखों के अनुसार पैमाइश कराकर कब्जा दिलाये एवम् खतौनी में नियमानुसार अमलदरामद करायें तथा खतौनी की 01 प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।


जिलाधिकारी/कलेक्टर,
फिरोजाबाद।